

कार्यालय, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय सिवनी (म0प्र0)

सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 कं
अन्तर्गत कार्यालय केन्द्रीय विद्यालय सिवनी के संगठन
कृत्य ,कर्त्तव्य , विनिश्चय / निर्णय /कृत्य निर्वहन की
प्रक्रिया का प्रकाशन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 एवं 19 के प्रावधानों के तहत
नियुक्त लोक सूचना अधिकारी

श्रीके0 रामासुन्दरम
स्नात्तकोतर शिक्षक
(भौतिकी)

श्री आर0बी0 मिश्रा
प्राचार्य

श्री के0एस0सुब्बा
सहायक आयुक्त

सहायक लोक सूचना

लोक सूचना अधिकारी

अपीलीय अधिकारी


अध्याय 2

केन्द्रीय विद्यालय सिवनी के संगठन की विशिष्ट कृत्य एवं कर्तव्य

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंतर्गत एक स्वाशासी शैक्षिक संस्था है । जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्व भारत में कार्यरत केन्द्रीय कर्मचारी (स्थानान्तरित एवं गैर स्थानान्तरित) को तथा म0प्र0 शासन के (स्थानान्तरित एवं गैर स्थानान्तरित) कर्मचारियों के बच्चों के सम्पूर्ण भारत में एक सी शिक्षा देना है । विद्यालय के सुचारु रूपसे संचालन के लिये इसका प्रमुख प्राचार्य को बनाया जाता है तथा अध्यापन कार्य के लिये शिक्षक एवं कार्यालयलिपिक रखे जाते है ।

केन्द्रीय विद्यालय सिवनी का मुख्यालय ,शहीदजीत सिंह मार्ग, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में है जिसके आयुक्त प्रमुख होते है । इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भी होता है जो जी0सी0एफ0 इस्टेट, जबलपुर में स्थित है । जिसके सहायक आयुक्त प्रमुख होते है ।

विद्यालय का गठन निम्न प्रकार से समझा जा सकता है ।



विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि अध्ययनरत छात्रों के भविष्य उज्ज्वल के लिये अथक प्रयास करना तथा विद्यालय का परीक्षा फल शत-प्रतिशत लाकर इसके मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करना तथा के0वि0 सं0 की छवि को पूरे भारत में अच्छा स्थान दिलाना ।

इसके कार्य विभाजन इस प्रकार है ।

1. स्नातकोत्तर शिक्षक :- उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को पढाना
2. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक :- उच्च एवं माध्यमिक कक्षाओं को पढाना
3. प्राथमिक शिक्षक :- प्राथमिक कक्षाओं को पढाना
4. लाइब्रेरियन :- पुस्तकालय का रख-रखाव का कार्य

5. पी0ई0टी :- छात्रों के शारीरिक व्यायाम एवम् क्रीडा क्रियाओं का संचालन
6. एस0यू0पी0डब्लू शिक्षक :- छात्रों को समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों में दक्ष करना
7. संगीत शिक्षक :- संगीत का ज्ञान देना
8. कार्यालय :- विद्यालय से संबंधित समस्त जानकारियों, वित्तीय, प्रशासनिक कार्यों का संपादन
9. लैब परिचारक :- प्रयोगशाला का रख-रखाव
10. श्रेणी छ कर्मचारी आदि

विशेष परिस्थिति में आवश्यक दिशा निर्देश या मार्ग दर्शन माननीय आयुक्त महोदय, नई दिल्ली या फिर सहायक आयुक्त जबलपुर से ली जाती है ।

अध्याय 3

प्राचार्य :- शिक्षण कार्य की निगरानी करते हुए प्रतिदिन के शिक्षण कार्य की समीक्षा करना । आवश्यकता पडने पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को निर्देश देना । प्रतिमाह के अंतिम कार्य दिवस पर अलग अलग विषयों से संबंधित शिक्षकों की बैठक लेकर उनके समक्ष आने वाली छात्रों से संबंधित किसी भी बिन्दु पर विचार कर उसके निराकरण के उपाय करना । अध्ययन में कमजोर छात्रों के विकास एवं शिक्षण समीक्षा कर उसकी परिस्थितियों में बदलाव पर विचार करना ।

इसके साथ ही साथ वित्तीय मामलों की सूक्ष्मता पर ध्यान देते हुए नियंत्रण रखना तथा प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों का संपादन सुनिश्चित करना होता है ।

शिक्षक एवं अन्य :- के0वि0सं0 के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्राचार्य द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं । इन सब को करते हुए भी शैक्षिक पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना है ।

अध्याय 4

अन्य कृत्यों के निपटारे के लिये प्राचार्य के अधीन एक उच्च श्रेणी लिपिक एवं निम्न श्रेणी लिपिक को भी पदस्थ किया गया है । जो शिक्षक एवं छात्रों के वित्तीय प्रकरण , फीस वसूली का रख-रखाव करते हैं । इस के लिये केन्द्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा शिक्षा संहिता , लेखा संहिता एवम् प्रवेश मार्ग दर्शिका उपलब्ध कराई जाती है ।

इसमें वर्णित मार्ग दर्शन के अनुसार वित्तीय, शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों का निपटारा किया जाता है ।

अध्याय 5

नीति निर्धारण हेतु

लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि की परामर्श / भागीदारी का प्रावधान नहीं है ।

नीति कार्यान्वयन हेतु

लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि की परामर्श / भागीदारी का प्रावधान नहीं है ।

अध्याय 6

लोक प्राधिकारी के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेज का विवरण:-

कोई नहीं

अध्याय 7

बोर्ड, परिषद समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण :-

1. विद्यालय , केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल , प्रीत विहार नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है ।
2. विद्यालय प्रबंध समिति, केन्द्रीय विद्यालय सिवनी जिसके सदस्य निम्नानुसार होते है ।

अध्यक्ष :- माननीय कलेक्टर जिला सिवनी , सचिव

सचिव :- प्राचार्य, के0वि सिवनी

अन्य सदस्य :- जिसमें अभिभावक (01 महिला / 01 पुरुष) डाक्टर, अन्य अधिकारी, शिक्षा विद् आदि को रखा जाता है ।

अध्याय 8

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ

विद्यालय स्तर

क्र माँ क	नाम	पद	सूचना के अधिकारी के अर्न्तगत धारित पद	कार्यस्थल का पता	दूरभाष का विवरण			
					कोडनं0	कार्यालय दूरभाष नंबर	निवास दूरभाष नंबर	मोबाईल
1	श्री के0जे0सुब्बा	सहायक आयुक्त	अपीलीय अधिकारी	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जी0सी0एफ 0 इस्टेट, जबलपुर	0761	2678369		
2	श्री आर0बी0 मिश्रा	प्राचार्य	लोक सूचना अधिकारी	केन्द्रीय विद्यालय सिवनी (म0प्र0)	0761	220338		
3	श्री के0 रामासुन्दरम	स्नातकोत्तर शिक्षक	सहायक लोक सूचना अधिकारी".....	07692	220338		

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर

क्र.मॉ.क.	नाम	पद	सूचना के अधिकारी के अर्न्तगत धारित पद	कार्यस्थल का पता	दूरभाष का विवरण			
					कोडनं. 0	कार्यालय दूरभाष नंबर	निवास दूरभाष नंबर	मोबाईल
1	श्री के0जे0सुब्बा	सहायक आयुक्त	अपीलीय अधिकारी	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जी0सी0एफ इस्टेट, जबलपुर	0761	2678369		
2	श्री एस0एन0 शर्मा	प्रशासनिक अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जी0सी0एफ इस्टेट, जबलपुर	0761	2678390		
3	श्री आर0बी0 मिश्रा	प्राचार्य	सहायक लोक सूचना अधिकारी	केन्द्रीय विद्यालय सिवनी (म0प्र0)	07692	220338		

अध्याय 9

निर्णय लेने की प्रक्रिया

विद्यालय स्तर पर निर्णय लेने के लिये सक्षम प्राधिकारी प्राचार्य ।

अध्याय 10

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.मॉ.क.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	दूरभाष	ई-मेल
1	श्री आर0 बी0 मिश्रा	प्राचार्य	220338	
2	श्री के 0 रामासुन्दरम	स्नातकोतर शिक्षक	224457	
3	श्री एम0 मनोहरन	स्नातकोतर शिक्षक	222208	
4	श्री आर0 एस0 उलाडी	स्नातकोतर शिक्षक	9425874015	
5	श्री ऐ0 के0 गुप्ता	स्नातकोतर शिक्षक	9893323131	
6	श्रीमती मंजू निखारे	स्नातकोतर शिक्षिका	9300101940	
7	श्री सुनील कुमार साहू	स्नातकोतर शिक्षक	9425183289	
8	डॉ आर0एस तिवारी	प्र0 स्नातक शिक्षक	9425559942	
9	श्रीमती अन्नया डे	प्र0 स्नातक शिक्षक	9826179194	
10	श्रीमती पी0 गठोरिया	प्र0 स्नातक शिक्षक	223649	
11	श्री एस0 बी0 पॉडे	प्र0 स्नातक शिक्षक	9425843182	
12	श्री पी0 नन्दनवार	प्राथमिक शिक्षक	224710	
13	श्रीमती सुधा नेमा	प्राथमिक शिक्षिका	9425383331	
14	श्री एम0एस0 बिनवार	प्राथमिक शिक्षक	9424380923	
15	श्री एस0 के0 इन्दुरकर	प्राथमिक शिक्षक	9827736695	
16	श्री डी0के0 पटेल	प्राथमिक शिक्षक	9425446995	
17	श्री एन0 अंसारी	प्राथमिक शिक्षक	221013	

18	श्री लालजी कोल	प्राथमिक शिक्षक	224193	
19	श्री कामेश्वर अवरस्थी	प्राथमिक शिक्षक	9329460499 9827736399	
20	श्रीमती नीलम चौरे	प्राथमिक शिक्षिका	9893882092	
21	कु० कामिनी गढेवाल	प्राथमिक शिक्षिका	9329208190	
22	श्री अजय कुमार मिश्रा	संगीत शिक्षक	9425388824	
23	श्री एम० एल० जैन	हेड मास्टर	9329454980	
24	श्री यू०सी० त्रिवेदी	एसयूपीडब्लू शिक्षक	9424357017	
25	श्री ऐ०के० गुप्ता	पुस्तकालयाध्यक्ष	224621	
26	श्रीमती किरन कनौजिया	क्रीडा शिक्षिका	9425842892 9425874015	
27	श्री जी० पी० विश्वकर्मा	यूडीसी	223711	
28	श्री ऐ०के० आडे	एलडीसी	9826160322	
29	श्री आई० के० पटेल	लैब परिचारक	9329213319	
30	श्री बलराम साहू	लैब परिचारक	9425572047	
31	श्री अशोक मलिक	लैब परिचारक	9329847925	
32	श्री मगन लाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		
33	श्री आर०एस० बघेल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		
34	श्री वृन्दावन तिवारी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		
35	श्री देवानन्द	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9993201343	

अध्याय 11

प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक एवं उसके निर्धारण की पद्धति

क्रमिक	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	वेतनमान
1	श्री आर० बी० मिश्रा	प्राचार्य	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी० ए० (41%मूल बेसिक का)	10000-325-15200
2	श्री के ० रामासुन्दरम	स्नातकोत्तर शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी० ए० (41%मूल बेसिक का)	6500-200-10500
3	श्री एम० मनोहरन	स्नातकोत्तर शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी० ए० (41%मूल बेसिक का)	6500-200-10500
4	श्री आर० एस० उलाडी	स्नातकोत्तर शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी० ए० (41%मूल बेसिक का)	6500-200-10500
5	श्री ऐ० के० गुप्ता	स्नातकोत्तर शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी० ए० (41%मूल बेसिक का)	6500-200-10500

			बेसिक का)	
6	श्रीमती मंजू निखारे	स्नातकोत्तर शिक्षिका	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	6500-200-10500
	श्री सुनील कुमार साहू	स्नातकोत्तर शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	6500-200-10500
7	डॉ आर0एस तिवारी	प्र0 स्नातक शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	6500-200-10500 (वरिष्ठ वेतनमान)
8	श्रीमती अन्नया डे	प्र0 स्नातक शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	5500-175-9000
9	श्रीमती पी0 गठोरिया	प्र0 स्नातक शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	5500-175-9000
10	श्री एस0 बी0 पौडे	प्र0 स्नातक शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	5500-175-9000
11	श्री पी0 नन्दनवार	प्राथमिक शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	5500-175-9000 (वरिष्ठ वेतनमान)
12	श्रीमती सुधा नेमा	प्राथमिक शिक्षिका	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	5500-175-9000 (वरिष्ठ वेतनमान)
13	श्री एम0एस0 बिनवार	प्राथमिक शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	5500-175-9000 (वरिष्ठ वेतनमान)
14	श्री एस0 के0 इन्दुरकर	प्राथमिक शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	5500-175-9000 (वरिष्ठ वेतनमान)
15	श्री डी0के0 पटेल	प्राथमिक शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	4500-125-7000
16	श्री एन0 अंसारी	प्राथमिक शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	4500-125-7000
17	श्री लालजी कोल	प्राथमिक शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल	4500-125-7000

			बेसिक का)	
18	श्री कामेश्वर अवरुथी	प्राथमिक शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	4500-125-7000
19	श्रीमती नीलम चौरे	प्राथमिक शिक्षिकर	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	4500-125-7000
20	श्री अजय कुमार मिश्रा	संगीत शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	4500-125-7000
21	श्री एम0 एल0 जैन	हेड मास्टर	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	5500-175-9000
22	श्री यू0सी0 त्रिवेदी	एसयूपीडब्लू शिक्षक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	6500-200-10500 (वरिष्ठ वेतनमान)
23	श्री ऐ0के0 गुप्ता	पुस्तकालयाधक्ष	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	5500-175-9000
24	श्रीमती किरन कनौजिया	क्रीडा शिक्षिका	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	6500-200-10500 (वरिष्ठ वेतनमान)
25	श्री जी0 पी0 विश्वकर्मा	यूडीसी	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	4000-100-6000
26	श्री ऐ0के0 आडे	एलडीसी	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	3050-75-3950-80- 4590
27	श्री आई0 के0 पटेल	लैब परिचारक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	2600-60-2910-65- 3300-70-4000
28	श्री बलराम साहू	लैब परिचारक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	2600-60-2910-65- 3300-70-4000
29	श्री अशोक मलिक	लैब परिचारक	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	2600-60-2910-65- 3300-70-4000
30	श्री मगन लाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल	2550-55-2660-60- 3200

			बेसिक का)	
31	श्री आर0एस0 बघेल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	2600-60-2910-65-3 300-70-4000 (वरिष्ठ वेतनमान)
32	श्री वृन्दावन तिवारी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	2600-60-2910-65-3 300-70-4000 (वरिष्ठ वेतनमान)
33	श्री देवानन्द	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मूल बेसिक +डी पी(50 %मूल बेसिक का)+ डी0 ए0 (41%मूल बेसिक का)	2600-60-2910-65-3 300-70-4000 (वरिष्ठ वेतनमान)

अध्याय 12

प्रत्येक अधिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं ,व्यय प्रस्तावों एवं धन वितरण की सूचना)

विद्यालय को बजट केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवम् जारी किया जाता है ।

अध्याय 13

अनुदान/ राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन नीति :- निरंक

अध्याय 14

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के संबंध में विवरण :- केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा

अध्याय 15

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक / नियम

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी शिक्षा संहिता , लेखा संहिता एवम् समय समय पर जारी निर्देशानुसार

अध्याय 16

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें :-

विद्यालय वेब-साइट :- www.kvseoni.com

के0वि0सं0 क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर वेब-साइट :-www.kvsrojablapur.org

के0वि0सं0 नई दिल्ली वेब-साइट :-www.kvsangathan.nic.in

अध्याय 17

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

बिन्दु क्रमांक 01 से 17 के अनुसार

अन्य उपयोगी जानकारियाँ :-

1. संगठन संबंधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध वेब-साइटों में वर्णित ।

RIGHT TO INFORMATION ACT -2005

DOCUMENTS TO BE PROVIDED TO THE APPLICANT.

- i) PIO is to be provided with information not opinions.
- ii) Allow inspection of promotion files, communicate reasons for denying promotions.
- iii) Access to files, documents records regarding formation of committees can be disclosed.
- iv) Reports of committees to be disclosed.
- v) Inspection of files relating to vigilance cases can be permitted after completion of enquiry.
- vi) Information regarding TA/DA can be provided.
- vii) Information concerning land allotment on license basis to identify encroachment is to be allowed.
- viii) Merit lists and minutes interviews to be disclosed.
- ix) Copy of appointment orders to be successful candidates to be disclosed.
- x) To provide marks along with lowest marks of the successful candidates.
- xi) Disclosures of information pertaining to empanelment of the officers in Govt. of India at the level of Deputy Secretary and above including picking up of appointments inspection of records.
- xii) Inquiry reports along with action taken to be disclosed.
- xiii) Videography of records during inspection at own's expenses is allowed .
- xiv) Status of claim settlements including reasons for delay is to be given.
- xv) In case, disposal of request is not done within the required time, information to be supplied free of charge.

EXEMPTION FROM DISCLOSURE OF INFORMATION UNDER THE ACT -SECTION 08 OF THE ACT

- i) Such information which may constitute contempt of court.
- ii) Informatin which would endanger the life or physical safety of any person.
- iii) Information pertaining to investigation.

- iv) Information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship of any public activity (privacy) viz. Annual property return, PAN**
- v) Confidential reports.**
- vi) Copy of answer sheets, if key is available it may be given.**
- vii) Matters relating to redressal of grievances not covered under RTI act.**
- viii) RTI Act cannot be used to force a public authority to settle claims.**